

कार्य आह्वान

खनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोखनेर

केस सं. 90/2025

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	<p>6.8.25</p> <p>20.8.25</p> <p>root press</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली के 20/8/25 को पेश की।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अभिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अभिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि वे अपने प्रार्थना पत्र को बागे नहीं अपना चाहते हैं, इसलिए प्रार्थना पत्र 'Not Press' करने की अनुमति प्रदान करावे। अभिवक्ता वादी/प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. 'Not Press' करने की अनुमति प्रदान की गयी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 'Not Press' के आधार पर खारिज किया गया। पत्रावली फ़ैलल शुमार छेकर नंबर से कम छेकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी जोखनेर</p>